भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में पारंपरिक मछुआरों के बीच आजीविका संकट

455. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई से प्रभावित तमिलनाडु के मछुआरों को 2022 से दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटन 2024-25 में पिछले वर्षों की तुलना में कम हुआ है;
(ग) तमिलनाडु में औद्योगिक जलीय कृषि और बंदरगाह विस्तार के कारण पारंपरिक मछुआरों के बीच आजीविका संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और
(घ) क्या केंद्र सरकार मशीनीकृत और हस्तशिल्प मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की तमिलनाडु की मांग का समर्थन करेगी?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार भारतीय मछुआरों और फिशिंग बोट्स की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सहित इन मुद्दों को श्रीलंका सरकार के साथ द्विपक्षीय तंत्रों, राजनयिक माध्यमों और उच्चतम स्तर पर विभिन्न आधिकारिक बातचीत के माध्यम से लगातार उठाती रही है। हमारी सभी बातचीतों में, यह उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों को मात्स्यिकी पर संयुक्त कार्य समूह (जाइंट वर्किंग ग्रुप) जैसे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों द्वारा निपटाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मात्स्यिकी पर संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी। इसके अलावा, भारतीय मिशन और वाणिज्य दूतावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने तथा उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी में सहायता के लिए आवश्यक सपोर्ट और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप 2024 तक 694 मछुआरों को रिहा किया जा चुका है और उन्हें वापस भेजा जा चुका है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि श्रीलंका सरकार द्वारा जब्त की गई और लौटाई ना जाने वाली 309 मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स और 51 मोटराइज्ड कंट्री बोट्स के मालिकों को मुआवजे के रूप में मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 19.60 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। पकड़े गए मछुआरों की श्रीलंकाई जेल हिरासत कालावधि के दौरान उनके 918 परिवारों को आजीविका चलाने के लिए प्रतिदिन 1.38 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।

(ख): PMMSY के अंतर्गत, विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार को 448.65 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 1157.09 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, नीली क्रांति योजना (ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम) (2017-18 के दौरान) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी 262.42 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि भी PMMSY के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सरकार के पास उपलब्ध थी।

(ग): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय मछुआरों को प्रोत्साहित करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा उपाय जैसे समुद्री सुरक्षा दीवार, ग्रोइन्स स्थापना, आर्टिफ़िश्यल रीफ स्थापना और ओपन सी केज गतिविधियाँ की जा रही हैं। PMMSY योजनाओं के अंतर्गत, समुद्री कृषि और तटीय जलीय कृषि गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थी-उन्मुख योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका के विकास के लिए ये योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

(i) खारे पानी में जलीय कृषि के लिए नए तालाबों और इनपुट्स का निर्माण, कुल परियोजना लागत 599.20 लाख रुपए,
(ii) सीबास कल्चर के लिए नए तालाबों और इनपुट्स का निर्माण, कुल परियोजना लागत 61.60 लाख रुपए,
(iii) बायो-फ्लोक पॉण्ड और इनपुट्स का निर्माण, कुल परियोजना लागत 443.20 लाख रुपए,
(iv) ऑपन सी केज की स्थापना, कुल परियोजना लागत 263.80 लाख रुपए और
(v) राफ्ट और मोनोलाइन के माध्यम से सीवीड कल्चर, कुल परियोजना लागत 213.95 लाख रुपए

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पारंपरिक मछुआरों के लिए फिशिंग बोट्स और जालों के प्रतिस्थापन हेतु प्रधान मंत्री मत्स्य योजना (PMMSY) के अंतर्गत धनराशि निर्धारित की है और तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं पर विचार किया गया है और उन्हें स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम में, 'डीप सी फिशिंग के लिए सहायता' नामक एक उप-घटक की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य डीप सी फिशिंग में पारंपरिक मछुआरों को बढ़ावा देना था। इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2017-18 में तमिलनाडु सरकार को 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत और जारी की गई है, ताकि तमिलनाडु के पारंपरिक मछुआरों, विशेष रूप से पाल्क खाड़ी जिलों के पारंपरिक मछुआरों को प्राथमिकता देते हुए, 750 डीप-सी फिशिंग वेसेल्स उपलब्ध कराई जा सकें और तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के कुंथकल में एक फिश लैंडिंग सेंटर का निर्माण किया जा सके। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत अब तक 77 डीप सी फिशिंग वेसेल्स लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पाल्क खाड़ी क्षेत्र में मत्स्यन के दबाव को कम करने और सीमा पार मत्स्यन (क्रॉस बार्डर फिशिंग) संघर्ष को कम करने के लिए डीप सी फिशिंग वेसेल्स, सीवीड कल्टीवेशन, केज कल्चर और सी-रेंचिंग जैसी गतिविधियों के लिए PMMSY के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम और पुदुकोट्टई जिलों में 127.71 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पस सी वीड पार्क की स्थापना के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, ताकि थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर और नागपट्टिनम जिलों के मछुआरों को सीवीड फ़ार्मिंग के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सके।

*****